उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग–4
संख्या– 620 /1–4–12–134 बी- 4-2002
लखनऊः दिनांक 29 मई, 2012

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1, सन 1904) की धारा–21 के साथ पठित यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 (यू0पी0ऐक्ट संख्या–3, सन् 1901) की धारा–234 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और (घ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली, 2005 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) (तृतीय संशोधन)

नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) (तृतीय संशोधन) नियमावली 2012 कही जायेगी।

(2) यह उन सभी क्षेत्रों में लागू होगी जहॉ यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 या कोई भी सहायक नियम लागू है।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम–6 का संशोधन

2– **उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली, 2005 में नियम–6 में–**

(क) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उपनियम (4) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(4) बैंक में एक पृथक खाता रखा जायेगा, जिसका संचालन परगना मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा और उपनियम (3) के अधीन प्राप्त धनराशि प्रतिदिन इस खाते में जमा की जायेगी। इस धनराशि का व्यय राजस्व परिषद के निर्देश के अधीन तहसील कम्प्यूटर केन्द्र के सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण, अनुरक्षण एवं संचालन सम्बन्धी कार्यो पर किया जायेगा।	((4) बैंक में एक पृथक खाता रखा जायेगा, जिसका संचालन परगना मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा और उपनियम (3) के अधीन प्राप्त धनराशि प्रतिदिन इस खाते में जमा की जायेगी। इस धनराशि का व्यय राजस्व परिषद के निर्देश के अधीन तहसील कम्प्यूटर केन्द्र तथा राजस्व न्यायालयों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, अनुरक्षण एवं संचालन सम्बन्धी कार्यो पर किया जायेगा, किन्तु इस धनराशि का व्यय तहसील परिसर के अन्तर्गत निर्माण या मरम्मत आदि सम्बन्धी किसी अन्य कार्य पर नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

d.s.

Uttar Pradesh Shasan
Rajaswa Anubhag-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no /1-4-12 134B-4-2002, dated May, 2012

Notification

No. 620 /1-4-12-134B-4-2002

Lucknow, Dated 29 May 2012

In exercise of powers under clauses (b) and (d) of sub-section (1) of section 234 of the U.P Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act no.III of 1901) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904). the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Records of Right (Computerization) Rules, 2005-

THE UTTAR PRADESH RECORD OF RIGHTS (COMPUTERIZATION) (THIRD AMENDMENT) RULES, 2012

Short title Extent and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Record of Rights (Computerization) (Third Amendment) Rules, 2012

   (2) They shall apply to all those areas where the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 or any subsidiary rules are applicable.

   (3) They shall come into force with effect from the date of Gazette.

Amendment of rule 6

2. In Uttar Pradesh Record of Rights (Computerization) Rules, 2005, in rules-6-

   (a) For sub-rule (4) set out in Column 1 below the sub-rule as set out in Column-2 shall be substituted namely:-

COLUMN-1 **Existing sub-rule**	**COLUMN-2** **Sub rule as hereby substituted**
(4) A seperate account shall be maintained in a Bank to be operated by the Sub-Divisional Magistrate and the amount received under sub-rule (3) shall be deposited every day in this account. This amount shall be spent on activities related to strengthening modernization maintenance and operation of Tehsil Computer center under the instruction of Board of Revenue.	**(4)** A seperate account shall be maintained in a Bank to be operated by the Sub-Divisional Magistrate and the amount received under sub-rule (3) shall be deposited every day in this account. This amount shall be spent on activities related to strengthening modernization maintenance and operation of Tehsil Computer center and Revenue Courts under the instruction of the Board of Revenue but this amount shall not be spent on any other activity related to construction or repairing in Tehsil Campus etc.

By order,

(Ashok Kumar)
Pramukh Sachiv.